न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

नामा0 अपील सं0 09/2022

1. कमला पुत्री रामरखा पत्नि रामहेत जाति गुर्जर निवासी ग्राम सिंहपुरा हाल निवासी आभानेरी कांच तहसील बसवा जिला दौसा
2. नर्बदा पुत्री रामरखा पत्नि रामरख जाति गुर्जर निवासी सिंहपुरा हाल निवासी दुल्हापुरा तहसील बसवा जिला दौसा
3. आनन्दी पुत्री रामरखा पत्नि श्रीनारायण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बिशनपुरा तहसील दौसा

..अपीलांट

बनाम

Web Copy - Not Official

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरख
2. पप्पू पुत्र रामफूल
   जाति गुर्जर निवासी ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा
3. कमोद पुत्री रामफूल पत्नि रामकरण जाति गुर्जर निवासी सुमेलखुर्द तहसील बसवा जिला दौसा
4. नाथी पत्नि रामफूल जाति गुर्जर निवासी सिंहपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
5. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

..रेस्पो0

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 28.5.1993 विरुद्ध तहसीलदार दौसा

उपस्थित–1. श्री योगेश जाकड, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से
2. श्री रामावतार गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पों. सं. 02 व 4 की ओर से।
3 श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

दिनांक: 22.05.2024

निर्णय

1. संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 28.5.1993 को ग्राम सिंहपुरा का नामान्तरण सं0 80 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट् व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

3. सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर बहस अधिवक्तागण की सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने बहस में दलील दी कि अपीलांट प्रारंभ से अपने पिता के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कर लाभांवित होती चली आ रही है जिसे कभी भी उक्त प्रश्नगत नामान्तरण आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई। किन्तु कुछ दिनों पूर्व रेस्पों. ने अपीलांट को एलानिया कहा कि उक्त आराजी रिकार्ड में हमारे नाम है तथा हम अपने नाम के हो रहे खातेदारी अंकन के आधार पर आराजी को रहन बय हस्तान्तरण करेंगे। जिस पर अपीलांट्स ने तहसील कार्यालय में जाकर उक्त रिकार्ड का अवलोकन करने पर उक्त प्रश्नगत नामान्तरण की जानकारी हुई। जिस पर नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी अपीलांट अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट्स को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट्स एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:10 IST
Reason: SelfAttested

....निरन्तर 2 पर

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता व अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पों. सं0 2 से 4 की बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल अपील पर बहस अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि ग्राम सींगपुरा तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नंबर 303, 329, 397, से 398, 474, 475/611 477 कुल किता 7 रकबा 5.60है. स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में अपीलांट के दादा सेडू की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। उक्त आराजी अपीलांट की पैतृक संपत्ति है जिसमें अपीलांट के प्रारंभ से ही हक अधिकार निहित है। अपीलांट के दादा सेडू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरण अपीलांट के पिता व उसके भ्रातागण के नाम खोला गया तथा अपीलांट के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामान्तरण केवल मात्र रेस्पों. सं. 1 से 4 के नाम ही खोला गया है जबकि उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा है तथा अपीलांट के हक में भी कानूनन उक्त विरासत का नामान्तरण खोला जाना न्यायोचित था किन्तु रेस्पों. सं. 1 से 4 ने साठगांठ कर केवल मात्र अपने नाम ही नामान्तरण खुलवा लिया। अधीनस्थतहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया नामान्तरण सं. 80 दिनांक 28.5.1993 विधि, न्याय एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। तहसीलदार दौसा ने नामान्तरण खोलते समय मृतक रामरखा के जायज व जायन्दा वारिसानों की कोई जांच नहीं की गई। अपीलांट मृतक रामरखा की जायन्दा पुत्री होने से कानून उसकी वारिस व उत्तराधिकारी है किन्तु तहसीलदार दौसा द्वारा नामान्तरण खोले जाते समय वारिसान की कोई जांच नहीं की गई व केवल उसके पुत्रों के नाम ही नामान्तरण खोला गया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट का अपने पिता के जीवनकाल से कब्जा चला आ रहा है। नामान्तरण खोले जाते समय कब्जे की जांच नहीं की गई है व बिना कब्जे की जांच किये व बिना नोटिस जारी किये नामान्तरण खोले जाने में कानूनी भूल की है। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण माननीय राजस्व मंडल, माननीय राज0 उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण सं0 80 दिनांक 28.5.1993 को निरस्त फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं0 1 व 04 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 4 एवं राजकीय अधिवक्ता ने बहस में संयुक्त रूप से कथन किया तहसीलदार दौसा द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरण विधिसम्मत रूप से खोला गया है। पटवारी हल्का द्वारा रामरखा पुत्र सेडू गुर्जर निवासी सिंहपुरा के देहान्त होने पर पूर्ण जांच की जाकर मृतक के वारिसान मु. भोंरी बेबा सेडू व लक्ष्मीनारायण, रामफूल पि. सेडू गुर्जर के नाम नामान्तरण भरा गया था जिसको भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त सैंथल के द्वारा जांच की गई है। जांच के उपरांत प्रश्नगत नामान्तरण को तहसील[illegible] के द्वारा समस्या समाधान शिविर कैंप बिशनपुरा में दिनांक 28.5.1993 को मजमें आम में [illegible]ीक किया गया है। अपीलांट ने गलत आधारों पर यह नामान्तरण लगभग 23 [illegible] विलंब से अपील पेश की है। रेस्पों. सं0. 1 से 4 की भूमि दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस [illegible] अवाप्त हुई है जिसका गलत आधारों पर मुआवजा प्राप्त करने हेतु यह अपील पेश की [illegible] है। अपीलांट मृतक रामरखा की जायन्दा पुत्रियां नहीं है। मृतक रामरखा के कोई भी जायन्दा पुत्रियां नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

....निरन्तर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

7. उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 28.05.1993 को ग्राम सिंहपुरा का नामान्तरकरण सं0 80 विरासत के आधार पर समस्या समाधान शिविर मु0 बिशनपुरा में तस्दीक किया गया है। उक्त तस्दीक किये गये नामान्तरण में रामरखा पुत्र सेडू गुर्जर निवासी सिंहपुरा के फौत होने पर रामरखा की विरासत मु. भोंरी बेवा सेडू व लक्ष्मीनारायण, रामफूल पि. सेडू गुर्जर के नाम पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जॉच एवं आदेशार्थ पेश किया गया। जिसके आधार पर मुताबिक पटवारी रिपोर्ट जॉच गिरदावर के अंकित कर तहसीलदार दौसा ने समस्या समाधान शिविर में दिनांक 28.5.1993 को नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण के खिलाफ अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील दायर कर अपीलांट्स को भी मृतक रामरखा की पुत्रियां होने के कारण नामान्तरण खुलवाने की इस्तदुआ की गई। विरासत के नामान्तरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार दौसा द्वारा पूर्ण मजमें आम में उक्त नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपीलांट्स रामरखा की पुत्रियां होने बाबत न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट्स मृतक रामरखा की जायन्दा पुत्रियां है। तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बाद जांच समस्या समाधान शिविर में नामान्तरण तस्दीक किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किसी जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

8.उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 80 दिनांक 28.05.1993 को समस्या समाधान शिविर मु0 बिशनपुरा में वाके ग्राम सिंहपुरा पर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 22 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:40:40 IST
Reason: SelfAttested